न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—146/2015/225 (2015/00269)

1. रामदेव पुत्र मांगू,
2. शोराम पुत्र मांगू,
3. लक्ष्मण पुत्र मांगू,

समस्त जाति कहार, निवासी गुलगांव, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. देवीलाल पुत्र छगना,
2. गोपाल पुत्र छगना,

दोनों जाति कहार, नि0 गंलगांव, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, केकड़ी ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 25.3.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 23/2015.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिव प्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 10.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 25.3.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम वादग्रस्त आराजियात मौजा जंगल ग्राम गुलगांव, तहसील केकड़ी के खसरा नंबर 1640 रकबा 0.08 है0 चाही—1 एवं 1641 रकबा 0.32 है0 चाही—1 अवस्थित है । वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पूर्वज दादा के समय से ही संयुक्त रूप से कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है । इस गलत इंद्राज का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपीलांटस को विवादित आराजियात से उसके हिस्से से बेदखल

करने पर आमादा है तथा बेचान करने की धमकियां दे रहे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 25.3.2015 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनयी है । वादग्रस्त आराजियात राजस्व अभिलेख में अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस पर अपीलांटस व रेस्पो0 के दादा ओंकार के समय से संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपने–अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है । वादग्रस्त आराजियात राजस्व अभिलेख में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा अपीलांटस को उसके हिस्से की आराजियात से बदेखल करने पर आमादा है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का संपूर्ण आराजियात से किसी प्रकार का सरोकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र पर बिना प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का निस्तारण किये अंतिम रूप से प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में संयुक्त खातेदारी की आराजियात में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर–बराबर का कब्जा काश्त माना जाता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भूल की है । अपीलांटस वादग्रस्त आराजियात पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है । राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140 के तहत राजस्व रिकार्ड में हुए इंद्राजात को तब तक असत्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके विरूद्ध सिद्ध नहीं हो । रेस्पो0 गलत इंद्राज के आधार पर वादग्रस्त आराजियात से अपीलांटस को बेदखल करने तथा अन्य को हस्तातंरित करने पर आमादा है इस कारण वादग्रस्त आराजियात की सुरक्षा हेतु रेस्पो0 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायोचित एवं आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को आवंटन हुई थी जिसका नोट आधार जमाबंदी में लगा हुआ है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रेस्पो0 ही विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांटस का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है । अपीलांटस ने कब्जे के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जबकि रेस्पो0 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अपीलांटस ने तथ्य छिपाकर अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता

नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 721 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अपील में विवादित आराजियात को पैतृक होने का कथन कर स्वंय का 1/2 हिस्सा होने तथा काबिज होने का कथन किया है किन्तु विवादित आराजियात पैतृक होने तथा विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । इसके विपरीत विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को आवंटन होना आधार जमाबंदी में लगे नोट से प्रमाणित होती है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार विवादित आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज है । हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से सहमत है कि रिकार्डेड काबिज खातेदार को किसी भी निषेधाज्ञ से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान मे रखकर प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212 खारीज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेशदिनांक 25.3.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर